

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

O.A. No. 75 OF 2025

IN THE MATTER OF: -

AKHILESH KUMAR

...APPLICANT

Versus

STATE OF U.P. & OTHERS

...RESPONDENTS

NDOH : 01.09.2025

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of the Respondent No. 4 Uttar Pradesh Pollution Control Board.	1-3
2.	ANNEXURE R8/1 A true copy of the letter dated 23.04.2024	4
3.	ANNEXURE R8/2 A true copy of the letter dated 11.03.2025	5
4.	ANNEXURE R8/3 A true copy of the letter dated 14.08.2025	6
5.	ANNEXURE R8/4 A true copy of the letter dated 23.08.2025	7
6.	ANNEXURE R8/5 A true copy of the joint inspection report dated 27.08.2025	8

**Uttar Pradesh Pollution Control Board
Respondent No. 4**

Through



AMIT SHUKLA

Advocate for the Respondent No. 4

Office at : D- 54, Sector – 48, Noida – 201303

Email: amit.shukla@lexweb.in

Ph. No. +91 9999933220; 9999333220

Place: New Delhi

Date: 28.08.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 75 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Akhilesh Kumar ...Applicant

Versus


State of Uttar Pradesh & Ors. ...Respondents

REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 4 UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Dr. Madhavi Kamalvanshi ,aged about 54 years,W/o Dr Arvind Kumar, presently posted as the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Banda, U.P. do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That the Applicant has filed the abovenoted Original Application wherein following prayers have been made:

- a. *A joint committee may be constituted to inspect the Gatta No. 576 and license of explosives issued in favour of respondent no. 5, regarding illegal mining.*
- b. *Till the submission of committee report, the respondent no. 5 may be restrained from using the explosive license for any mining activity.*
- c. *Environment Compensation be imposed against the defaulters for carrying out illegal mining and illegal use of explosive.*
- d. *Any other order, direction may kindly be passed as this Hon'ble Tribunal deem fit and necessary in the interest of justice"*



Madhavi

3. That in pursuance to the complaint dated 20.03.2024 made by Shri Akhilesh Kumar, a letter has been sent by the UPPCB to the Director of Mines Safety, Hapur Road, Ghaziabad vide letter no.-61/Jai Maa Chandrika Enterprises/2024 dated 23.04.2024 for necessary action regarding the complaint. A copy of the said letter has also been sent to the Mining Officer, Mahoba.
A true copy of the letter dated 23.04.2024 is being annexed herewith and marked as **Annexure-R8/1**.
4. That again a letter has been sent by the UPPCB to the Mining Officer, Mahoba, vide letter no.-1603/Prarthana Patra/25 dated 11.03.2025 for necessary action.
A copy of the said letter has also been sent to the Controller of Explosives, Ministry of Commerce and Industry Petroleum and Explosive Safety Organization, Agra.
A true copy of the letter dated 11.03.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure-R8/2**.
5. The UPPCB vide its letter dated 14.08.2025 has requested to the Mining Officer, Mahoba for providing the information regarding the action taken against Respondent No. 5 – M/s Jai Maa Chandrika Enterprises, Rajendra Nagar, Village Kabrai, District Mahoba, Uttar Pradesh.
A true copy of the letter dated 14.08.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure R8/3**.
6. That in reply to the above-mentioned letter the Senior Mining Officer, Mahoba vide its letter dated 23.08.2025 has informed that the validity of mining lease in favour of the Respondent No. 5 was from 24.05.2001 to 23.05.2011 and



[Handwritten signature]

38
presently no mining lease has been approved for the said area.

A true copy of the letter dated 23.08.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure R8/4**.

- 7. That the joint inspection of the site was conducted on 27.08.2025. A true copy of the Joint inspection report is annexed herewith and marked as **Annexure R8/5**.

That it is also pertinent to mention here that as per the office record the Consent to Operate (CTO) has not been issued by the UPPCB in favour of Respondent No. 5 under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended.


That the above facts are being placed on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and consideration.

[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION:

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 28 DAY OF AUGUST, 2025 AT
BANDA



10538/236
**SWORN
BEFORE ME**
[Signature]
28/8/25
C.B. GUPTA
NOTARY BANDA

[Signature]
DEPONENT
[Signature]
D. Madhavi/Kamal Vanshi
I HAVE read and verified the contents of the above affidavit and certify that the contents are true to the best of my knowledge and belief.
[Signature]
28/8/25



क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

34 ए, निकट, संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं०-2,
चिल्ला रोड, बॉदा (उ०प्र०) पिन-210001

संदर्भ संख्या- 61/जय माँ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज/24

दिनांक : 23.04.2024

सेवा में,

खान सुरक्षा निदेशक,
नार्थन जोन, रूम नं०- 201 एव 203, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
हापुड़ रोड़, गाजियाबाद।

विषय : अमोनियम नाइट्रेट (बारूद) अवैध व्यक्तियों एवं नक्सलवादियों को बेंचने के सम्बन्ध में अनुज्ञापिधारी मेसर्स जय माँ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज प्रो० श्रीमती सुधा कुमार पत्नी श्री केशव कुमार सविता निवासी- राजेन्द्र नगर, कबरई, जनपद- महोबा, उ०प्र० के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट (सॉलिड) एवं उपयोग हेतु भण्डारण अनुज्ञापि सं० ए/सीसी/यूपी/पी३रु२(ए१४१८) का लाइसेन्सधारक है और एएनएफओ के विनिर्माण के लाइसेन्स सं० ई/सीसी/३८/४(ई८३२२६) की धारक है खान अधिकारी महोबा के पत्र सं० १०९२/एमएमसी-३०-खनिज (२०२१-२२) दिनांक ३१.०७.२०२१ के द्वारा आख्या प्रेषित की है कि श्रीमती सुधा कुमारी पत्नी केशव प्रसाद निवासी कबरई जनपद- महोबा को ग्राम लेटा तहसील- कुलपहाड़ के गाटा नं०- ५७६ क्षेत्रफल १.८२१ हे० का खनन पट्टा दिनांक २४.०५.२००१ से १० वर्ष के लिये रहा है अर्थात् इसकी अवधि दिनांक २३.०५.२०११ को समाप्त हो चुकी है, एवं जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक सं० ३६०२/श०लि०-विस्फोटक/२०२१-२२ दिनांक १७.०८.२०२१ में उक्त सुधा कुमारी के नाम जारी पट्टा जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, का उल्लेख करते हुए कार्यवाही के आदेश जारी किये गये थे, के कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके अन्तर्गत श्री अखिलेश द्विवेदी, मो० विवेक नगर, कबरई, महोबा द्वारा मै० जय माँ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज प्रो० श्रीमती सुधा कुमार पत्नी श्री केशव कुमार सविता निवासी- राजेन्द्र नगर, कबरई, जनपद- महोबा, उ०प्र० के विरुद्ध अपने पत्र संख्या दिनांक २०.०३.२०२४ द्वारा अमोनियम नाइट्रेट (बारूद) के दुरुपयोग व बिना लाइसेंस नवीनीकरण के राजस्व क्षति एवं दुर्घटना होने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। उक्त शिकायती पत्र की प्रति संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डॉ० माधवी कमलवंशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद- महोबा को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
d:\uppcb banda ro office new\all letters\all inspection report docx



क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा
 34 ए, निकट, संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं०-2,
 चिल्ला रोड, बॉदा (उ०प्र०) पिन-210001

संदर्भ संख्या- 1603/प्रार्थना पत्र/25-

दिनांक : 11.03.2025

सेवा में,

खान अधिकारी,
 जनपद-महोबा।


विषय : खान सुरक्षा महानिदेशालय गाजियाबाद से बिना परमीशन/अनुमति प्राप्त किये हुए मेसर्स जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज प्रो० श्रीमती सुधा कुमारी पत्नी केशव कुमार सविता द्वारा भारी मात्रा में गाटा सं० 576 ग्राम लेटा तहसील कुलपहाड़ जिला महोबा में ए०एन०एफ०ओ० विनिर्माण लाइसेन्स का दुरुपयोग करते हुए मेसर्स जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज प्रो० श्रीमती सुधा कुमारी के द्वारा भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट (बारूद) को गाटा सं० 576 पत्थर खान ग्राम लेटा तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा में उपयोग दिखाकर अवैध व्यक्तियों एवं नक्सलियों को बेंचने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने बावत प्रार्थना पत्र।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके अन्तर्गत श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री राजकिशोर द्विवेदी, निवासी विवेक नगर, कबरई, महोबा, मो०-9580646214 द्वारा मै० जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज प्रो० श्रीमती सुधा कुमारी पत्नी श्री केशव कुमार सविता निवासी- राजेन्द्र नगर, कबरई, जनपद- महोबा, उ०प्र० के विरुद्ध अपने पत्र दिनांक 03.03.2025 द्वारा गाटा संख्या 576, ग्राम- लेटा, तहसील- कुलपहाड़, जनपद- महोबा खनन क्षेत्र पर अमोनियम नाइट्रेट (बारूद) के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। उक्त शिकायती पत्र की प्रति संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया


 (डॉ० माधवी कमलवंशी)
 क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : Dr. Dasharath Laxman Kamble, Controller of Explosives, Ministry of Commerce & Industry Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO), 63/4, A-Wing, IInd Floor, Lendralaya (CGO Complex), Sanjay Place Agra 282002.


 क्षेत्रीय अधिकारी 11/03/25
 ole




क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
34ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं० 2
बाँदा उ०प्र०-210001

संदर्भ संख्या : 445/310300 210001-75/2025/25

दिनांक : 14/08/2025

सेवा में,

खनिज अधिकारी,
जनपद-महोबा।

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-75/2025 अखिलेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-75/2025 अखिलेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....4. The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

5. Issue notice to the respondents. Mr. Amit Shukla, Advocate accepts notice on behalf of Respondent No. 4 and seeks four weeks' time file the reply. Let the notice be issued to the other respondents. Applicant is directed to serve the other respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

6. List on 01.09.2025.....”

उक्त आदेश के अनुपालन में जनपद-महोबा (ग्राम-लेटा) स्थित मैसर्स जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज, गाटा संख्या-576, ग्राम-लेटा, तहसील-कुलपहाड़, जनपद-महोबा पर पूर्व में की गयी कार्यवाही की सूचनायें समस्त संलग्नकों सहित इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, साथ ही माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डॉ० माधवी कमलवंशी) 14/8/25
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद-महोबा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

g/c
Sah.

प्रेषक,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
महोबा।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बांदा।

पत्रांक 755 / एम०एम०सी०-30-खनिज/2025-26

दिनांक 13/08/2025

विषय:-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-75/
2025 अखिलेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश
दिनांक 23.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-445/ओ०ए० संख्या-75/2025/25
दिनांक 14.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा जनपद महोबा (ग्राम लेटा)
मेसर्स जय मों चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज, गाटा संख्या-576 ग्राम लेटा तहसील कुलपहाड़ जनपद
महोबा पर पूर्व में की गयी कार्यवाही की सूचनायें समस्त संलग्नकों सहित उपलब्ध कराये जाने की
अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार
खान सुरक्षा उपनिदेशक, गाजियाबाद, गाजियाबाद के पत्र संख्या-उपनिदेशक/गाजियाबाद क्षेत्र/
1016 गाजियाबाद दिनांक 05.08.2024 प्राप्त हुआ जिसके द्वारा खनन पट्टे की वैधता के सम्बन्ध में
जानकारी चाही गयी थी जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1371/एम०एम०सी०-30-
खनिज/2024-25 दिनांक 14.11.2024 द्वारा मेसर्स जय मों चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज प्रो० श्रीमती
सुधा कुमारी के पक्ष में जनपद महोबा की तहसील कुलपहाड़ स्थित ग्राम-लेटा में गाटा संख्या-
576 में स्वीकृत 1.821 हे० खण्डा/गिट्टी/बोल्डर का खनन पट्टा की वैधता दिनांक 24.05.2001
से दिनांक 23.05.2011 तक स्वीकृत था, के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की गयी थी (पत्र की छायाप्रति
संलग्न)। वर्तमान में उक्त क्षेत्र पर खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय


ज्येष्ठ खान अधिकारी
महोबा।

प्रतिलिपि-

जिलाधिकारी महोदया, महोबा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ज्येष्ठ खान अधिकारी
महोबा।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-75/2025 अखिलेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 के परिप्रेक्ष्य में मैसर्स जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज, गाटा संख्या-576, ग्राम-लेटा, तहसील-कुलपहाड़, जनपद-महोबा की निरीक्षण आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-75/2025 अखिलेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या-466/ओ0ए0 संख्या-75/2025/25 दिनांक 23.08.2025 खनिज अधिकारी, जनपद-महोबा को संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैसर्स जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज, गाटा संख्या-576, ग्राम-लेटा, तहसील-कुलपहाड़, जनपद-महोबा का निरीक्षण संयुक्त रूप से उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा एवं खनिज विभाग, जनपद-महोबा द्वारा दिनांक 27.08.2025 को किया गया, जिसकी बिन्दुवार निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

- निरीक्षण के समय खनन पट्टा संचालित नहीं पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



- निरीक्षण के समय किसान श्री अली, निवासी ग्राम-लेटा, तहसील-कुलपहाड़, जनपद-महोबा उपस्थित मिले, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खनन स्थल पर खनन, विस्फोटक सामग्री का भण्डारण एवं विस्फोटन का कार्य नहीं किया जाता है।
- निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर एक सिविल संरचना (संलग्न फोटो में प्रदर्शित) पाया गया, जिसमें विस्फोटक अथवा अन्य सामग्री भण्डारित नहीं पायी गयी।
- उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा द्वारा मैसर्स जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज, गाटा संख्या-576, ग्राम-लेटा, तहसील-कुलपहाड़, जनपद-महोबा को अनापत्ति सहमति जल/वायु निर्गत नहीं की गयी है।
- ज्येष्ठ खान अधिकारी, जनपद-महोबा के पत्र संख्या-755/एम0एम0सी0-30-खनिज/2025-26 दिनांक 23.08.2025 द्वारा प्रेषित उत्तर में अवगत कराया गया है कि "मैसर्स जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्रीमती शुधा कुमारी के पक्ष में जनपद-महोबा की तहसील-कुलपहाड़ स्थित ग्राम-लेटा, गाटा संख्या-576 में स्वीकृति-1.821 हे0 खण्डा/गिट्टी/बोल्डर का खनन पट्टा की वैधता दिनांक 24.05.2001 से दिनांक 23.05.2011 तक स्वीकृत था, वर्तमान में उक्त क्षेत्र पर खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है।"

27.8.25
अवर अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बॉदा

27/08/2025
खान निरीक्षक
खनिज विभाग,
जनपद-महोबा